



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2260]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2016/भाद्र 24, 1938

No. 2260]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2016/BHADRA 24, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2016

का.आ. 2962(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का० आ० 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (संक्षिप्त रूप में एनपीपीए है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट तत्काल प्रभावी अधिकतम कीमत और उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	ईकाई	अधिकतम कीमत(रु.)
1	2	3	4	5
1.	पेरासिटामोल ऑरल लिक्विड	पेरासिटामोल-100 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.47
2.	पेरासिटामोल ऑरल लिक्विड	पेरासिटामोल-150 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.54
3.	पेरासिटामोल ऑरल लिक्विड	पेरासिटामोल-250 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.56
4.	पेरासिटामोल ऑरल लिक्विड	पेरासिटामोल-500 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.59
5.	पेरासिटामोल ऑरल लिक्विड	पेरासिटामोल-650 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.48
6.	सिफाड्रोक्सील गोली	सेफाड्रोक्सील-1 ग्राम	1 गोली	5.83
7.	सिफाजोलिन इन्जेक्शन के लिए पाउडर	सिफाजोलिन-500 मिग्रा.	प्रति पैक	14.44
8.	केनामाइसिन इन्जेक्शन के लिए पाउडर	केनामाइसिन- 1 ग्राम	प्रति पैक	19.80

नोट :

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत स्थानीय कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें।
- (ङ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (च) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, अधिकतम और खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां.सं./168/36/2016/वि/फा. सं. 8(36)/2016/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 15th September, 2016

S.O. 2962(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of local tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Paracetamol Oral Liquid	Paracetamol-100 mg/5ml	1 ml	0.47
2.	Paracetamol Oral Liquid	Paracetamol-150 mg/5ml	1 ml	0.54
3.	Paracetamol Oral Liquid	Paracetamol-250 mg/5ml	1 ml	0.56
4.	Paracetamol Oral Liquid	Paracetamol-500 mg/5ml	1 ml	0.59
5.	Paracetamol Oral Liquid	Paracetamol-650 mg/5ml	1 ml	0.48
6.	Cefadroxil Tablet	Cefadroxil-1 Gram	1 Tablet	5.83
7.	Cefazolin Powder for Injection	Cefazolin-500 mg	Each Pack	14.44
8.	Kanamycin Powder for Injection	Kanamycin-500 mg	Each Pack	19.80

Note :

- (a) All the existing manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus local taxes as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any.
- (b) All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- (c) The manufacturers may add local taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- (d) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS.
- (e) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (f) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/168/36/2016/F/F. No. 8(36)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]

BALJIT SINGH, Asstt. Director

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2016

का.आ. 2963(अ).— राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का० आ० 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश का. आ. 644(अ), दिनांक 2 मार्च, 2016, को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैकों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	ईकाई कीमत(रु.)	अधिकतम
1	2	3	4	5
1.	साइक्लोस्पोरीन कैपसूल	साइक्लोस्पोरीन-25 मिग्रा.	1 कैपसूल	24.48
2.	प्राइमाक्वीन गोली	प्राइमाक्वीन-2.5 मिग्रा.	1 गोली	1.44
3.	मिथोट्रेक्सेट गोली	मिथोट्रेक्सेट-5 मिग्रा.	1 गोली	7.45
4.	लेवोडोपा+ कार्बिडोपा गोली	लेवोडोपा-250 मिग्रा. कार्बिडोपा-25 मिग्रा.	1 गोली	3.46
5.	हाइड्रोक्लोरोथियाजिड गोली	हाइड्रोक्लोरोथियाजिड-12.5 मिग्रा.	1 गोली	0.91
6.	हाइड्रोक्लोरोथियाजिड गोली	हाइड्रोक्लोरोथियाजिड-25 मिग्रा.	1 गोली	1.57
7.	कार्बामेज़ापाइन गोली	कार्बामेज़ापाइन-100 मिग्रा.	1 गोली	0.64
8.	सोडियम वेलप्रोएट इन्जेक्शन	सोडियम वेलप्रोएट-100 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	5.34
9.	एनोक्सापेरिन इन्जेक्शन	एनोक्सापेरिन-40 मिग्रा./0.4 मिलि	0.1 मिलि	90.454
10.	एनोक्सापेरिन इन्जेक्शन	एनोक्सापेरिन-40 मिग्रा./0.6 मिलि	0.1 मिलि	90.454

नोट :

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत स्थानीय कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें।

- (ड.) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (च) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, अधिकतम और खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां.सं./168/36/2016/वि/फा. सं. 8(36)/2016/डीपी/एनपीपीए.—डिबी.-II]

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

ORDER

New Delhi, the 15th September, 2016

S.O. 2963(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No. S.O. 644(E), dated 2nd March, 2016, in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the price as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of local tax applicable, if any in respect of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cyclosporin Capsule	Cyclosporin-25mg	1 Capsule	24.48
2.	Primaquine Tablet	Primaquine-2.5mg	1 Tablet	1.44
3.	Methotrexate Tablet	Methotrexate-5mg	1 Tablet	7.45
4.	Levodopa + Carbidopa Tablet	Levodopa-250mg Carbidopa-25mg	1 Tablet	3.46
5.	Hydrochlorothiazide Tablet	Hydrochlorothiazide-12.5mg	1 Tablet	0.91
6.	Hydrochlorothiazide Tablet	Hydrochlorothiazide-25mg	1 Tablet	1.57
7.	Carbamazepine Tablet	Carbamazepine-100mg	1 Tablet	0.64
8.	Sodium Valproate Injection	Sodium Valproate -100mg/ml	1 ml	5.34
9.	Enoxaparin Injection	Enoxaparin-40 mg/0.4ml	0.1 ml	90.454
10.	Enoxaparin Injection	Enoxaparin-60 mg/0.6ml	0.1 ml	90.454

Note :

- (a) All the existing manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus local taxes as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any.
- (b) All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- (c) The manufacturers may add local taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- (d) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS.
- (e) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (f) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/168/36/2016/F/F. No. 8(36)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]

BALJIT SINGH, Asstt. Director

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2016

का.आ. 2964(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का० आ० 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश का. आ. 1687(अ), दिनांक 9 मई, 2016 की सारणी में उल्लेखित क्रम सं. 40 (कोलकैल्शिफेरोल (विटामिन डी 3) कैपसूल 60000 आईयू), का. आ. 1253(अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 की सारणी में उल्लेखित क्रम सं. 94 (कोलकैल्शिफेरोल (विटामिन डी 3) गोलियां 60000 आईयू) और का. आ. 1561(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2016 की सारणी में उल्लेखित क्रम सं. 17 (लेविट्रासिटम ओरल लिक्विड 100 मिग्रा./मिलि), को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	अधिकतम कीमत(रु.)
1	2	3	4	5
1.	कोलकैल्शफेरोल (विटामिन डी 3) कैपसूल	कोलकैल्शफेरोल (विटामिन डी 3)-60000 आईयू	1 कैपसूल	27.40
2.	कोलकैल्शफेरोल (विटामिन डी 3) गोली	कोलकैल्शफेरोल (विटामिन डी 3)-60000 आईयू	1 गोली	22.50
3.	लेविट्रासिटम ओरल लिक्विड	लेविट्रासिटम-100 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	3.38

नोट :

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत स्थानीय कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें।
- (ङ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (च) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, अधिकतम और खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां.सं./168/36/2016/वि/फा. सं. 8(36)/2016/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-III]

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

ORDER

New Delhi, the 15th September, 2016

S.O. 2964(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No. S.O. 1687(E), dated 9th May, 2016 regarding formulation pack mentioned in the table at Sl. No. 40 (Cholecalciferol (Vitamin D3) Capsule 60000IU), S.O. 1253(E), dated 29th March, 2016 regarding formulation pack mentioned in the table at Sl. No. 94 (Cholecalciferol (Vitamin D3) Tablet 60000IU) and S.O. 1561(E), dated 27th April, 2016 regarding formulation pack mentioned in the table at Sl. No. 17 (Levetiracetam Oral Liquid 100 mg/ml), in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the price as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of local tax applicable, if any in respect of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cholecalciferol (Vitamin D3) Capsule	Cholecalciferol (Vitamin D3)-60000IU	1 Capsule	27.40
2.	Cholecalciferol (Vitamin D3) Tablet	Cholecalciferol (Vitamin D3)-60000IU	1 Tablet	22.50
3.	Levetiracetam Oral Liquid	Levetiracetam-100 mg/ml	1 ml	3.38

Note :

- All the existing manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus local taxes as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any.
- All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- The manufacturers may add local taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS.
- Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

- (h) Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/168/36/2016/F/F. No. 8(36)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]

BALJIT SINGH, Asstt. Director

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2016

का.आ. 2965(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का० आ० 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4), और (5) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, ईकाई (यूनिट) और निर्मित और विपणन कम्पनियों सहित क्रमशः स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्भिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	ईकाई	निर्मित और विपणन द्वारा क्रमशः	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	फोरमोटेरोल फ्यूमारेट+ बुडेसोनाइड रेसप्यूल्स (बुडामेट नेब 0.5 मिग्रा.)	प्रत्येक 2 मिलि रेसप्यूल्स में : प्रति फोरमोटेरोल फ्यूमारेट डाइहाइड्रेट फोरमोटेरोल फ्यूमारेट-20 माइक्रो ग्राम के बराबर बुडेसोनाइड-0.5 मिग्रा. (आइसोटोनिक सोल्यूशन में)	पैक (2 मिलि)	मैसर्स एकुम्स ड्रग्स एंड फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स ल्यूपिन लिमिटेड	35.09
2.	फोरमोटेरोल फ्यूमारेट+ बुडेसोनाइड रेसप्यूल्स (बुडामेट नेब 1 मिग्रा.)	प्रत्येक 2 मिलि रेसप्यूल्स में : फोरमोटेरोल फ्यूमारेट डाइहाइड्रेट फोरमोटेरोल फ्यूमारेट-20 माइक्रो ग्राम के बराबर बुडेसोनाइड-1 मिग्रा. (आइसोटोनिक सोल्यूशन में)	प्रति पैक (2 मिलि)	मैसर्स एकुम्स ड्रग्स एंड फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स ल्यूपिन लिमिटेड	40.88
3.	एटोरवास्टेटिन+ कोलिन फेनोफाइब्रेट डीआर कैपसूल	प्रत्येक हार्ड जेलेटिन कैपसूल में : एटोरवास्टेटिन कैल्शियम एटोरवास्टेटिन-20 मिग्रा. के बराबर (प्रत्येक फिल्म लिपित इमीडियेट रिलिज गोली में) कोलिन फेनोफाइब्रेट फेनोफाइब्रिक ऐसिड-135 मिग्रा. के बराबर (डिलेयल रिलिज गोली में)	1 कैपसूल	मैसर्स इन्ट्रास फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	19.70
4.	एटोरवास्टेटिन+ कोलिन फेनोफाइब्रेट डीआर कैपसूल	प्रत्येक हार्ड जेलेटिन कैपसूल में : एटोरवास्टेटिन कैल्शियम एटोरवास्टेटिन-10 मिग्रा. के बराबर (प्रत्येक फिल्म लिपित इमीडियेट	1 कैपसूल	मैसर्स इन्ट्रास फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	14.73

1	2	3	4	5	6
		रिलिज़ गोलियों में) कोलिन फेनोफाइब्रेट फेनोफाइब्रिक एसिड-135 मिग्रा. के बराबर (डिलेयल रिलिज़ गोली में)			
5.	डिक्लोफेनेक कैपसूल (आईईआर 75)	प्रत्येक हार्ड जेलेटिन कैपसूल में : डिक्लोफेनेक कोलिस्टिरामाइन (= डिक्लोफेनेक रेसिनेट)- 145.60 मिग्रा. डिक्लोफेनेक सोडियम-75 मिग्रा. के बराबर	1 कैपसूल	मैसर्स हेट्रो लेब. लिमिटेड और मैसर्स इन्डोको रेमेडिज़ लिमिटेड	5.28
6.	मेटोप्रोलोल+ ओल्मेसारटन गोली (ओलकेम बेटा 25)	प्रत्येक फिल्म लिपित बायलेयर्ड गोली में : मेटोप्रोलोल सक्सीनेट मेटोप्रोलोल टारट्रेट-25 मिग्रा. के बराबर (एक्सटेन्डेड रिलिज़ फॉर्म में) ओल्मेसारटन मेडोक्सोमील-20 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स एल्केम लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड	9.28
7.	मेटोप्रोलोल+ ओल्मेसारटन गोली (ओलकेम बेटा 50)	प्रत्येक फिल्म लिपित बायलेयर्ड गोली में : मेटोप्रोलोल सक्सीनेट मेटोप्रोलोल टारट्रेट-50 मिग्रा. के बराबर (एक्सटेन्डेड रिलिज़ फॉर्म में) ओल्मेसारटन मेडोक्सोमील-20 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स एल्केम लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड	11.12
8.	रोस्यूवास्टेटिन+ एसप्रिन कैपसूल (जायरोवा एएसपी 150)	प्रत्येक हार्ड जेलेटिन कैपसूल में : रोस्यूवास्टेटिन कैल्शियम रोस्यूवास्टेटिन-10 मिग्रा. के बराबर (फिल्म लिपित गोलियों में) एसप्रिन-140 मिग्रा. (एंट्रिक लिपित पेलेट्स में)	10 कैपसूल	मैसर्स विडलास बायोटेक लिमिटेड और मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड	50.05
9.	टोलपेरिसोन एचसीएल+ डिक्लोफेनेक सोडियम गोली (टोलकेम-डी)	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : टोलपेरिसोन एचसीएल-150 मिग्रा. डिक्लोफेनेक सोडियम-50 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स मेरिल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एलकेम लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड	11.52
10.	गिलिमिप्राइड+ मेटफोर्मिन एचसीएल गोली (ग्लूकोरिल एम 3 फोर्ट)	प्रत्येक अलिपित बायलेयर्ड गोली में : गिलिमिप्राइड-3 मिग्रा. मेटफोर्मिन एचसीएल-1000 मिग्रा. (सस्टेन्ड रिलिज़ फॉर्म में)	1 गोली	मैसर्स विडलास बायोटेक लिमिटेड और मैसर्स एलकेम लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड	9.35
11.	गिलिमिप्राइड+ मेटफोर्मिन एचसीएल गोली (ग्लूकोरिल एम 3)	प्रत्येक अलिपित बायलेयर गोली में : गिलिमिप्राइड-3 मिग्रा. मेटफोर्मिन एचसीएल-500 मिग्रा. (सस्टेन्ड रिलिज़ फॉर्म में)	1 गोली	मैसर्स विडलास बायोटेक लिमिटेड और मैसर्स एलकेम लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड	6.61

1	2	3	4	5	6
12.	एमोक्सीसिलिन+ क्लेव्यूनिक ऐसिड गोली (पेनक्लेव 1000)	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : एमोक्सीसिलिन ट्राईहाइड्रेट एमोक्सीसिलिन-875 मिग्रा. के बराबर पोटाशियम क्लेव्यूलानेट डाईल्यूटेड क्लेव्यूनिक ऐसिड-125 मिग्रा. के बराबर	1 गोली	मैसर्स चिरोस फॉर्मा और मैसर्स बायोकेम फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	28.93
13.	सेफिक्सिम ट्राईहाइड्रेट+ ऑफ्लोक्सीन गोली (जेटेक्स ओएफ)	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : सेफिक्सिम ट्राईहाइड्रेट एन्हाइड्रस सेफिक्सिम-200 मिग्रा. के बराबर ऑफ्लोक्सीन-200 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स इनोवा केपटेब प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स फाइज़र लिमिटेड	9.86
14.	टेनेलिगलिपटिन+ मेटफोर्मिन एचसीएल ईआर गोली (मेगाग्लिपटिन एमएफ फोर्ट)	प्रत्येक अलिपित बायलेयर गोली में : टेनेलिगलिपटिन हाइड्रोब्रोमाइड हाइड्रेट टेनेलिगलिपटिन-20 मिग्रा. के बराबर मेटफोर्मिन एचसीएल-1000 मिग्रा. (एक्सटेन्डेड रिलिज़ में)	1 गोली	मैसर्स ग्लेनमार्क फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स एरिस्टो फॉर्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	11.65
15.	टेनेलिगलिपटिन+ मेटफोर्मिन एचसीएल एसआर गोली (डायनाग्लिप्ट एम फोर्ट)	प्रत्येक अलिपित बायलेयर्ड गोली में : टेनेलिगलिपटिन हाइड्रोब्रोमाइड हाइड्रेट टेनेलिगलिपटिन-20 मिग्रा. के बराबर मेटफोर्मिन एचसीएल-1000 मिग्रा. (सस्टेन्ड रिलिज़ फॉर्म में)	1 गोली	मैसर्स विंडलास बायोटेक लिमिटेड और मैसर्स मेनकाइंड फार्मा लिमिटेड	11.65
16.	पोविडोन आयोडिन+ ओरनिडाज़ोल ऑयन्टमेन्ट (ल्यूपिडिन-ओजेड)	प्रत्येक ग्राम में पोविडोन आयोडिन-5% डब्ल्यू/डब्ल्यू (उपलब्ध आयोडिन-0.5% डब्ल्यू/डब्ल्यू) ओरनिडाज़ोल-1% डब्ल्यू/डब्ल्यू (ऑयन्टमेन्ट बेस-क्यू.एस.)	1 ग्राम	मैसर्स इनोवा केपटेब और मैसर्स ल्यूपिन लिमिटेड	3.30
17.	गिलिमिप्राइड गोली (ग्लूकोरिल 3 मिग्रा.)	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में: गिलिमिप्राइड-3 मिग्रा.	15 गोलियां	मैसर्स सेवी फॉर्मा और मैसर्स एलकेम लेब. लिमिटेड	80.00
18.	क्लोट्रिमाज़ोल लोशन (ट्राईबेन)	प्रत्येक 5 मिलि में : क्लोट्रिमाज़ोल-1% डब्ल्यू/वी	30 मिलि	मैसर्स जेनबर्कट फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	96.93
19.	टेनेलिगलिपटिन+ मेटफोर्मिन एचसीएल ईआर गोली	प्रत्येक अलिपित बायलेयर गोली में : टेनेलिगलिपटिन हाइड्रोब्रोमाइड हाइड्रेट टेनेलिगलिपटिन-20 मिग्रा. के बराबर मेटफोर्मिन एचसीएल-500 मिग्रा. (एक्सटेन्डेड रिलिज़ में)	1 गोली	मैसर्स ग्लेनमार्क फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स कोय फॉर्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	11.14
20.	टेनेलिगलिपटिन+ मेटफोर्मिन एचसीएल एसआर गोली (डायनाग्लिप्ट एम)	प्रत्येक अलिपित बायलेयर गोली में : टेनेलिगलिपटिन हाइड्रोब्रोमाइड हाइड्रेट टेनेलिगलिपटिन-20 मिग्रा. के बराबर मेटफोर्मिन एचसीएल-500 मिग्रा. (सस्टेन्ड रिलिज़ फॉर्म में)	1 गोली	मैसर्स विंडलास बायोटेक लिमिटेड और मैसर्स मेनकाइंड लिमिटेड	11.14

1	2	3	4	5	6
21.	पेरासिटामोल+कैफिन+ फिनायलएफरिन+ डाईफेनिड्रामाइन गोली (कोल्क-सी)	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : पेरासिटामोल-500 मिग्रा. कैफिन (एनहाइड्रस)-30 मिग्रा. फिनायलएफरिन एचसीएल-5 मिग्रा. डाईफेनिड्रामाइन एचसीएल-25 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स एकूम्स ड्रग्स एंड फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स बिल्यू क्रॉस लेब. प्रा. लिमिटेड	2.68

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें।
- (ड.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (ड.) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (घ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (छ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणाम स्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां.सं./168/36/2016/वि/फा. सं. 8(36)/2016/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

ORDER

New Delhi, the 15th September, 2016

S.O. 2965(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company respectively, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company respectively	Retail Price (Rs.)
1	2	3	4	5	6
1.	Formoterol Fumarate+ Budesonide Respules (Budamate Neb 0.5mg)	Each 2ml respule contains: Formoterol Fumarate Dihydrate eq. to Formoterol Fumarate-20mcg Budesonide-0.5mg (in isotonic solution)	Each Pack (2ml)	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. & M/s Lupin Ltd.	35.09
2.	Formoterol Fumarate+ Budesonide Respules (Budamate Neb 1mg)	Each 2ml respule contains: Formoterol Fumarate Dihydrate eq. to Formoterol Fumarate-20mcg Budesonide-1mg (in isotonic solution)	Each Pack (2ml)	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. & M/s Lupin Ltd.	40.88
3.	Atorvastatin + Choline Fenofibrate DR Capsule	Each hard gelatin capsule contains: Atorvastatin Calcium eq. to Atorvastatin-20mg (as film coated immediate release tablet) Choline Fenofibrate eq. to Fenofibric Acid-135 mg (as delayed release tablet)	1 Capsule	M/s Intas Pharmaceuticals Ltd.	19.70
4.	Atorvastatin + Choline Fenofibrate DR Capsule	Each hard gelatin capsule contains: Atorvastatin Calcium eq. to Atorvastatin-10mg (as film coated immediate release tablet) Choline Fenofibrate eq. to Fenofibric Acid-135 mg (as delayed release tablet)	1 Capsule	M/s Intas Pharmaceuticals Ltd.	14.73
5.	Diclofenac Capsule (IER-75)	Each hard gelatin capsule contains: Diclofenac Colestyramine (=Diclofenac resinate)-145.60mg eq. to Diclofenac Sodium-75mg	1 Capsule	M/s Hetero Labs. Ltd. & M/s Indoco Remedies Ltd.	5.28
6.	Metoprolol + Olmesartan Tablet (Olkem Beta 25)	Each film coated bilayered tablet contains: Metoprolol Succinate eq. to Metoprolol Tartrate-25mg (as extended release form) Olmesartan Medoxomil-20mg	1 Tablet	M/s Alkem Laboratories Ltd.	9.28
7.	Olmesartan + Metoprolol Tablet (Olkem Beta 50)	Each film coated bilayered tablet contains: Metoprolol Succinate eq. to Metoprolol Tartrate-50mg (as extended release form) Olmesartan Medoxomil-20mg	1 Tablet	M/s Alkem Laboratories Ltd.	11.12
8.	Rosuvastatin + Aspirin Capsule (Zyrova ASP 150)	Each hard gelatin capsule contains: Rosuvastatin Calcium eq. to Rosuvastatin-10mg (as film coated tablets) Aspirin-150mg (as enteric coated pellets)	10 Capsules	M/s Windlas Biotech Ltd & M/s Cadila Healthcare Ltd.	50.05

1	2	3	4	5	6
9.	Tolperisone HCl + Diclofenac Sodium Tablet (Tolkem-D)	Each film coated tablet contains: Tolperisone HCl-150mg Diclofenac Sodium-50mg	1 Tablet	M/s Merrill Pharma Pvt. Ltd. & M/s Alkem Laboratories Ltd.	11.52
10.	Glimepiride + Metformin HCl Tablet (Glucoryl M3 Forte)	Each uncoated bilayered tablet contains: Glimepiride-3mg Metformin HCl-1000mg (as sustained release form)	1 Tablet	M/s Windlas Biotech Ltd. & M/s Alkem Laboratories Ltd.	9.35
11.	Glimepiride + Metformin Tablet (Glucoryl M3)	Each uncoated bilayered tablet contains: Glimepiride-3mg Metformin HCl-500mg (as sustained release form)	1 Tablet	M/s Windlas Biotech Ltd. & M/s Alkem Laboratories Ltd.	6.61
12.	Amoxicillin+ Clavulanic Acid Tablet (Pencalv 1000)	Each film coated tablet contains: Amoxicillin Trihydrate eq. to Amoxicillin-875mg Potassium Clavulanate diluted eq. to Clavulanic Acid-125 mg	1 Tablet	M/s Chiros Pharma & M/s Biochem Pharmaceuticals Ind. Ltd.	28.93
13.	Cefixime Trihydrate+ Ofloxacin Tablet (Jetex OF)	Each film coated tablet contains: Cefixime Trihydrate eq. to Anhydrous Cefixime-200mg Ofloxacin-200mg	1 Tablet	M/s Innova Captab Pvt. Ltd. & M/s. Pfizer Ltd.	9.86
14.	Teneligliptin+ Metformin HCl ER Tablet (Megagliptin MF Forte)	Each uncoated bilayer tablet contains: Teneligliptin Hydrobromide Hydrate eq. to Teneligliptin-20mg Metformin HCl-1000mg (as extended release)	1 Tablet	M/s. Glenmark Pharmaceuticals Ltd. & M/s. Aristo Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	11.65
15.	Teneligliptin+ Metformin HCl SR Tablet (Dynaglipt M Forte)	Each uncoated bilayered tablet contains: Teneligliptin Hydrobromide Hydrate eq. to Teneligliptin-20mg Metformin HCl-1000mg (as sustained release form)	1 Tablet	M/s. Windlas Biotech Ltd. & M/s. Mankind Pharma Ltd.	11.65
16.	Povidone Iodine+ Ornidazole Ointment (Lupidine-OZ)	Each gram contains: Povidone Iodine-5% w/w (available Iodine-0.5%w/w) Ornidazole-1% w/w (in an ointment base- q.s.)	1 Gram	M/s. Innova Captab & M/s. Lupin Ltd.	3.30
17.	Glimepiride Tablet (Glucoryl 3mg)	Each film coated tablet contains : Glimepiride-3mg	15 Tablets	M/s. Savi Pharma & M/s. Alkem Lab Ltd.	80.00
18.	Clotrimazole Lotion (Triben)	Each 5ml contains: Clotrimazole-1% w/v	30ml Pack	M/s. Jenburkt Pharmaceuticals Ltd.	96.93
19.	Teneligliptin+ Metformin HCl ER Tablet	Each uncoated bilayer tablet contains: Teneligliptin Hydrobromide Hydrate eq. to Teneligliptin-20mg Metformin HCl-500mg (as extended release)	1 Tablet	M/s. Glenmark Pharmaceuticals Ltd. & M/s. Koye Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	11.14

1	2	3	4	5	6
20.	Teneligliptin+ Metformin HCl SR Tablet (Dynaglipt-M)	Each uncoated bilayer tablet contains: Teneligliptin Hydrobromide Hydrate eq. to Teneligliptin-20mg Metformin HCl-500mg (as sustained release form)	1 Tablet	M/s. Windlas Biotech Ltd. & M/s. Mankind Pharma Ltd.	11.14
21.	Paracetamol+Caffeine+ Phenylephrine+ Diphenhydramine Tablet (Kolq-C)	Each film coated tablet contains: Paracetamol-500mg Caffeine (anhydrous)-30mg Phenylephrine HCl-5mg Diphenhydramine HCl-25mg	1 Tablet	M/s. Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. & M/s. Blue Cross Lab. Pvt. Ltd.	2.68

Note :

- The manufacturers of above mentioned formulations i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table hereinabove.
- The manufacturers may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.
- The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturers in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturers shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS.
- The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketeers as mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/ State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- The concerned manufacturers of above said formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of product in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Manufacturers, in case intending to discontinue above said formulations, shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulations as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/168/36/2016/F/E. No. 8(36)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]

BALJIT SINGH, Asstt. Director